संख्या-22/2024/पी-230/001-38-9002 002 1 2023

प्रेषक,

उमाकान्त सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2024**

विषयः-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 14745.550 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 7372.775 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-785/एफ-31(12)/यूपीआरआरडीए/2024-25 दिनांक-03.06.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 14745.550 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 7372.775 लाख (रूपये तिहत्तर करोड़ बहत्तर लाख सतहत्तर हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

(1) निर्मित सम्पर्क मार्ग का हस्तान्तरण निर्माण के 05 वर्ष के उपरान्त लोक निर्माण विभाग को कर दिया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी तथा प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग किये जाने के बाद द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(4) धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7372.775 लाख (रूपये तिहत्तर करोड़ बहत्तर लाख सत्हत्तर हजार पॉच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 3054041050301 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

उमाकान्त सिंह
अनु सचिव।

संख्या-22/2024/पी-230/001-38-9002 002 1 2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- श्री राजेन्द्र राम (नोडल अधिकारी), उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्टि करने हेतु।
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-03, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

उमाकान्त सिंह
अनु सचिव।

http:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।